न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हँसमुख कुमार-आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 80/2018

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थीगण

श्री वनाराम पुत्र जगमाल जी
जाति भील आयु 40 वर्ष निवासी
काकेन्द्रा तहसील व जिला सिरोही

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ,सिरोही

1— श्री पदमाराम चौहान,वकील प्रार्थी
2— पैरोकार सरकार ~~~~ तहसीलदार,सिरोही

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने ।

आदेश

दिनांक 27–9–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण स्टेट बाबत राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 14–6–2018 को पेश्श्श ा किया । जिसका संक्षिप्त मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम काकेन्द्रा पटवार हल्का सनपुर तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 882 रकबा 1.6200 हैक्टेयर की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मे प्रार्थी के पिपता के नाम से आयी हुई है। उपरोक्त खसरा की कृषि भूमि मे प्रार्थी के पिता का नाम गादमा पुत्र हटा दर्ज है। प्रार्थी के पिता का राशनकार्ड ,पहचान पत्र मे जगमाल पुत्र हटा का नाम दर्ज है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम जगमाल है। गांव मे भी जगमाल पुत्र हटा के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी के पिता अनपढ व्यक्ति थे उनका देहान्त दिनांक 13–12–2016 को हो गया है। प्रार्थी के पिता के वारिसदार प्रार्थी व प्रार्थी का भाई कलाराम,रतनाराम,अमराराम,बहिन कंकु,पेपी,माता भीखीदेवी सभी जाने जगमाल की मृत्यु होने पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे म्यूटेशन (नामान्तकरण) भरवाने के लिये पटवार हल्का सनपुर गये तो राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि जमाबंदी मे जगमाल की जगह त्रुटि से गादमा पुत्र हटा दर्ज है। जिससे जगमाल के वारिसदारों का नामान्तकरण नही हो सकेगा । उपरोक्त त्रुटि को सुधरवाना पडेगा । प्रार्थी को उनके पिता के जीवित रहने के दौरान उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध मे जरूरत नही पउने से जानकारी नही थी। पिता की मृत्यु के बाद जमाबंदी मे नामान्तकरण दर्ज करवानपे गये तब जगमाल की जगह गादमा पुत्र हटा गलत इन्द्राज होने की जानकारी हुई । राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से राजस्व रेकर्ड मे जगमाल पुत्र हटा के सथान पर गादमा पुत्र हटा जाति भील का इन्द्राज होने से प्रार्थी व उसके वारिसदार को अकारण परेशानी का सामना करना पड रहा है एवं खातेदारी हक की श ांका हो रही है तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने स`अब राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे राजस्व अधिकारी नामान्तकरण दर्ज नही कर रहे है जिससे प्रार्थी के पिता के खातेदारी कृषि भूमि के हक अधिकार से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी को उक्त त्रुटी की जानकारी होने पर उक्त त्रुटी को सुधारने हेतू कई बार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को निवेदन किये गये लेकिन बावजूद निवेदन के आज दिन तक अप्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड मे त्रुटी को सुधार कर सही इन्द्राज गादमा पुत्र हटा के स्थान पर जगमाल पुत्र हटा नही करने से यह प्रार्थनात्र प्रस्तुती का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम काकेन्द्रा पटवार हल्का सनपुर तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 1.6200 हैक्टेयर के संयुक्त खातेदार गादमा पुत्र हटा भील के स्थान पर सही इन्द्राज जगमाल पुत्र हटा जाति भील दर्ज करने हेतु अप्रार्थी को निर्देश दिलाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे ग्राम काकेन्द्रा पटवार हल्का सनपुर तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता सं. 98 जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या 46 मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक जगमाल राशनकार्ड प्रार्थी जगमाल के नाम की प्रति,निर्वाचन पहचान पत्र प्रार्थी जगमाल प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 14–6–2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया ।

विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकार को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र सनपुर पेश हुई । केम्प मे इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान पटवारी हल्का सनपुर व भू.अ.नि. मेरमाण्डवाडा तथा तहसीलदार,सिरोही ने संयुक्त रूप से जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार ,सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि ग्राम काकेन्द्रा के जगमाल पुत्र हटा के पुत्र वनाराम ने प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एकट का प्रस्तुत कर उसके पिता का नाम संशोधन करवाने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध मे निवेदन यह है कि

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

ग्राम काकेन्द्रा के खसरा संख्या 882 रकबा 1.62 हैक्टेयर कृषि भूमि मे नाम गादमा पुत्र हटा जमाबंदी मे दर्ज है जबकि ग्रामवासियान से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि इसका वास्तविक नाम जगमाल वल्द हटा कौम भील है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज,मतदाता पहचान पत्र कमांक वर्ष 1995 मे जारी राशनकार्ड व मृत्यु प्रमाणपत्र मे नाम जगमाल पुत्र हटा कौम भील दर्ज है। राजस्व रेकर्ड मे इनका नाम गादमा पुत्र हटा दर्ज है। अतः ग्राम काकेन्द्रा के खसरा संख्या 882 मे गादमा पुत्र हटा के स्थान पर जगमाल पुत्र हटा दर्ज किया जाना उचित होना बताया है।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 19–8–2019 को वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार(नायब तहसीलदार,कालन्द्री) की अंतिम बहस विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर रखी गई जिस पर वकील प्रार्थी तथा पैरोकार सरकार द्वारा न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब तहसीलदार सिरोही व ग्राम काकेन्द्रा पटवार हल्का सनपुर तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता सं. 98 जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या 46 मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक जगमाल राशनकार्ड प्रार्थी जगमाल के नाम की प्रति,निर्वाचन पहचान पत्र प्रार्थी जगमाल प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2035 से 2038 की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह जाहिर होता है कि तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को स्वीकार कर निवेदन किया है कि ग्राम काकेन्द्रा के खसरा संख्या 882 रकबा 1.62 हैक्टेयर कृषि भूमि मे नाम गादमा पुत्र हटा जमाबंदी मे दर्ज है जबकि ग्रामवासियान से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि इसका वास्तविक नाम जगमाल वल्द हटा कौम भील है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज,मतदाता पहचान पत्र कमांक वर्ष 1995 मे जारी राशनकार्ड व मृत्यु प्रमाणपत्र मे नाम जगमाल पुत्र हटा कौम भील दर्ज है। राजस्व रेकर्ड मे इनका नाम गादमा पुत्र हटा दर्ज है। अतः ग्राम काकेन्द्रा के खसरा संख्या 882 मे गादमा पुत्र हटा के स्थान पर जगमाल पुत्र हटा दर्ज किया जाना उचित होना बताया है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी के पिता का सही वास्तविक नाम जगमाल पुत्र हटा जाति भील है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से पुराने राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के पिता का गलत नाम गादमा पुत्र हटा भील दर्ज हो गया । प्रार्थी के पिता के नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटी की तारीफ मे आने से दुरूस्त किया जाना आवश्यक व उचित है। अतः न्यायहित मे प्रार्थी के पिता का सही नाम जगमाल पुत्र हटा भील दर्ज करना न्यायोचित है अन्यथा प्रार्थी को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पडेगा तथा प्रार्थी आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानी बढेगी तथा मामला कानूनी उलझनो मे अटका रहेगा । अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही ) को आदेश दिया जाता है कि मौजा काकेन्द्रा पटवार हल्का सनपुर तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 882 रकबा 1.6200 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी मे काश्तकार के कॉलम मे प्रार्थी के पिता का दर्ज गलत नाम गादमा पुत्र हटा भील के स्थान पर सही वास्तविक नाम जगमाल पुत्र हटा भील संशोधन/दर्ज कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 21–9–2019 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.30 19:25:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: